

निदेशालय ॥ गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक:-गृमु/प्रशि/टी- /2020/15990

दिनांक:- 21-6-21

विस्तृत ई-बोली आमंत्रण सूचना


अभ्यर्थियों की वैज्ञानिक तकनीक से शारीरिक मापतौल व शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु ई-बोली (e-Bid) आमंत्रित की जाती है। बोली दस्तावेजों को दिनांक 22.06.2021 को प्रातः 11.00 बजे से वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड प्रारम्भ किया जा सकेगा तथा बोली दिनांक 22.07.2021 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उक्त वेबसाईट पर Upload कर प्रस्तुत की जा सकेगी।

ऑनलाईन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क एक ही चालान से ऑन-लाईन ई-ग्रास (e-GRAS) सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना है। बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर Bid- Securing Declaration को स्कैन कर ऑन-लाईन बोली दस्तावेजों के साथ उक्त निर्धारित तिथि एवं समय तक अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।

बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क के उक्त चालान की प्रति एवं Bid- Securing Declaration मूल ही दिनांक 22.07.2021 को 02.00 पी.एम. तक भौतिक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। ई-बोली की तकनीकी बिड (Technical Bid) दिनांक 22.07.2021 को 03.00 पी.एम. पर खोली जावेगी।


विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तों एवं तत्संबंधी अन्य विवरण को वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> अथवा विभागीय वेबसाईट <http://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards> अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन (Public Procurement) पोर्टल (<http://sppp.rajasthan.gov.in>) पर देखा जा सकता है।

क्र. सं.	सेवा का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित कीमत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति	बोली प्रपत्र शुल्क	सप्लाय अवधि (दिनों में)
1.	Use of RFID for time measurement of running, 01 Kilometer Physical Efficiency Test (PET) and Conducting Physical Standards Test (PST) using Digital Equipments, Biometric Authentication, CCTV recording of all the events for enrolment of Volunteers for Home Guards, Rajasthan.	3,50,000 persons approx	385.00	Bid-Securing Declaration on non-judicial stamp paper of rupees 50/-	1000	As per Annexure "E"


(अमृत कलश IPS)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
निदेशालय, गृह रक्षा
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय का नाम	निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर
अनुमानित मात्रा/संख्या	संलग्न बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
कुल अनुमानित कीमत	रुपये 385.00 लाख
बोली प्रतिभूति	Bid-Securing Declaration on non-judicial stamp paper of rupees 50/-
सप्लाई अवधि	2021-22
बोली जमा कराने की अंतिम तिथि	बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
बोली खुलने की तिथि	दिनांक 22.07.2021 सायं 3-00 बजे

संलग्न:- बोली आमंत्रण सूचना संख्या ----- दिनांक -----


(अमृत कलश IPS)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
निदेशालय, गृह रक्षा
राजस्थान, जयपुर

बोली (bid) की मुख्य शर्तें:-

1. शुल्क (fee) –

(अ) निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस (Bid Document Fees & Bid Processing Fees) एक ही चालान (Singal Challan) से ऑन-लाईन ई-ग्रास (e-GRAS) सिस्टम के माध्यम से (परिशिष्ट "र" के अनुसार) जमा कराया जाना है। :-

शुल्क का विवरण	शुल्क की राशि
बोली प्रपत्र शुल्क	रु. 1000
प्रोसेसिंग फीस	रु. 1000

(ब) बोली प्रतिभूति (Bid Security):- वित्त (G & T) विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.12.2020 एवं परिपत्र क्रमांक एफ.2 (1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.12.2020 की अनुपालना में बिड सिक्यूरिटी राशि (Bid Security Amount) के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर Bid-Securing Declaration (परिशिष्ट -'य') प्रस्तुत करना होगा।

(स) शुल्क जमा कराने की तिथि:- निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क एक ही चालान से ऑन-लाईन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से (परिशिष्ट "र") के अनुसार जमा कराया जाना है। तथा चालान की प्रति बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार दिनांक एवं समय तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से भी जमा कराना होगा। बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर Bid-Securing Declaration (परिशिष्ट-'य') भी मूल ही दिनांक 22.07.2021 को समय दोपहर 2.00 पी.एम. तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, Bid-Securing Declaration एवं प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में बोली में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।

2. पात्रता (Eligibility)-

- (i) बोली के इच्छुक बोलीदाता को, ई-बोली (e-Bid) में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। जो बोलीदाता ऑनलाईन टेण्डर्स में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 (I.T. Act 2000) के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट्स (Type II व Type III) प्राप्त करने होंगे। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उपरोक्त वर्णित वैध डिजिटल सर्टिफिकेट्स उपलब्ध हैं, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट्स लेने की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) सेवाओं के लिए बोली आमंत्रण (e-bid) में अपेक्षित सूचना के अनुसार सेवाओं की बोलियां, संबंधित सेवा के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) एवं निर्माता द्वारा सेवा विशेष हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत डीलर/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट-'द' (घोषणा-पत्र) एवं तत्संबंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य स्कैन कर बोली प्रपत्र के साथ उपलब्ध करवाना होगा।

3. अनुभव (Experience)-

- (i) बोलीदाता को विगत 5 वर्षों में से कम से कम 3 बार आधुनिक उपकरणों से PST तथा RFID उपकरणों द्वारा कम से कम 35,000 अभ्यर्थियों की दौड़ कराने का सफलतापूर्वक समय मापने का (विभिन्न सरकारी विभाग/उपक्रम में) अनुभव होना आवश्यक होगा। संबंधित विभाग/उपक्रम से इस बाबत विगत पांच वर्षों में संबंधित विभाग से जारी कम से कम तीन कार्यदेश, संतोषजनक कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र एवं उनके भुगतान संबंधी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- (ii) बोलीदाता फर्म (Bidder) का वार्षिक टर्नओवर कम से कम रुपये 5 करोड़ होना चाहिए जिसके प्रमाण स्वरूप विगत पांच वर्षों में किन्ही दो वर्षों की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खाता (Profit & Loss Account) की चार्टर्ड अकाउन्टेंट से प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से ऑनलाईन स्कैन प्रति प्रस्तुत करना होगा। सेवा के व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर द्वारा फर्म का बैंकिंग व्यवहार व खाते में संतोषजनक लेनदेन होने की पुष्टि ऑनलाईन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (iii) बोलीदाता के पास RFID उपकरण द्वारा एक समय में कम से कम 03 स्थानों पर simultaneously समय मापने का अनुभव होना आवश्यक है, जोकि गत 5 वर्षों में कम से कम 2 परियोजनाओं में किया गया हो। बोलीदाता के संयुक्त उपक्रम होने की स्थिति में यह अनुभव किसी एक पार्टनर का होना आवश्यक है। उक्त कार्य का बोलीदाता के पास सफलतापूर्वक कार्य करने का प्रमाण होना आवश्यक है।

4. दस्तावेज (Documents)-

- (i) बोली के साथ बोलीदाता द्वारा वैध जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं GSTR/GSTR चालान की प्रमाणित प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी (इस संबंध में परिशिष्ट-स की शर्त संख्या 4 (ii) देखें)।
- (ii) समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा सत्यापित होना चाहिए।
- (iii) बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
- (iv) बोलीदाता द्वारा सभी विभागीय बोली शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप, परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक- 'ब' पूर्ति कर एवं हस्ताक्षर करके ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करने होंगे। इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जायेगी और ई-बोली में उसको आगे की प्रक्रिया (Stages) में शामिल नहीं किया जायेगा।

5. वैधता (Validity)-

दरों की विधि मान्यता (Validity of Bids) बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से 90 दिन होगी

6. अन्य शर्तें (Other Conditions) -

- (i) उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्ट "अ" परिशिष्ट "ब", परिशिष्ट "स", परिशिष्ट "द", परिशिष्ट "य", परिशिष्ट "र" एवं परिशिष्ट "इ" तथा Enclosure I, Enclosure II एवं Enclosure III में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (ii) निर्माता/सेवा प्रदाता फर्म का भारत में कार्यालय होना आवश्यक है जिसके प्रमाण स्वरूप दस्तावेज उपलब्ध करवाना होगा।

- (iii) ई-बोली में स्कैन कर ऑनलाईन उपलब्ध करवाये गए दस्तावेज ही स्वीकार्य होंगे। भौतिक रूप से बाद में कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules (RTPP Rules 2013) के अनुसार बोली कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
- (iv) प्राधिकृत डीलर के रूप में प्रस्तुत करने पर बोलीदाता फर्म को निर्माता फर्म का आईटम/सेवा निर्माण का पंजीयन प्रमाण-पत्र, जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं निर्माता द्वारा जारी प्राधिकृत डीलर के प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

7. राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम :-

- (i) राजस्थान की वे फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बिड सिक्यूरिटी के संबंध में 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर Bid-Securing Declaration (परिशिष्ट -'य') प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम/प्रावधान लागू होंगे।

8. डेमोंस्ट्रेशन-

तकनीकी बिड (Technical Bid) में योग्य पाये जाने पर फर्म को 7 दिवस के नोटिस पर गृह रक्षा विभाग को डेमोंस्ट्रेशन (Demonstration) देना अनिवार्य होगा। डेमोंस्ट्रेशन के दौरान कार्यपूर्णता (execution of work) में संबंधित फर्म सफल नहीं पाई जाती है, (विशेषकर दौड़ का समय/लैप के समय में, उँचाई, सीना एवं वजन के माप-तौल में तथा अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन के डेमोंस्ट्रेशन में) तो उस स्थिति में फर्म/बोलीदाता को आगामी बिड प्रक्रिया से पृथक कर दिया जायेगा। डेमोंस्ट्रेशन में योग्य पाये जाने पर ही बोली पर विचार किया जायेगा। इस संबंध में महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान का निर्णय सभी संबंधित फर्म/बोलीदाता पर अंतिम व बाध्यकारी होगा।


9. सामान्य सूचना (General Information) -

- (i) यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष में सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन (Substitute) किसी उपापन (Procurement) संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत (Forfeit) कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को; उपापन (Procurement) संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित (Debar) किया जा सकेगा।
- (ii) विस्तृत शर्तों को जानने के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट "अ" परिशिष्ट "ब", परिशिष्ट "स", परिशिष्ट "द", परिशिष्ट "य", परिशिष्ट "र" एवं परिशिष्ट "इ" तथा Enclosure -I, Enclosure II तथा Enclosure III का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना आवश्यक है।
- (iii) बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद भी विभागीय उपापन समिति द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।
- (iv) विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकेंगे।
- (v) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 के तहत राज्य सरकार द्वारा विवर्जित (Debar) किये गये बोलीदाता उक्त बोली प्रस्तुत करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (vi) बोलीदाता को इस आशय की **Undertaking** प्रस्तुत करनी होगी कि उनके द्वारा इस बोली में प्रस्तुत की गयी दर से कम दर वित्तीय वर्ष 2021-22 में अन्य विभागों/उपक्रमों में नहीं दी गयी है तथा न ही दी जायेगी।
- (vii) सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।

- (viii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर होंगे।
- (ix) बजट की उपलब्धता के अनुरूप क्य किये जाने वाले सेवाओं/आईटमों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा बोली निरस्त (Drop) भी की जा सकेगी।
- (x) बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

उप महासमादेष्टा-II, निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर
दूरभाष नं. 0141-2612018
ई-मेल:-hg.trg.raj@nic.in

सीनियर स्टाफ ऑफीसर-I, निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर
दूरभाष नं. 0141-2614424
ई-मेल:-hg.trg.raj@nic.in


सन्दीप सत्यप्रकाश शर्मा
उप महासमादेष्टा-II
गृह रक्षा मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर